ईंधन/फीडस्टाक सुविधाओं की स्थापना करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाना, तथा

(viii) प्रचूर तथा सस्ते कच्चे माल के स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना

वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों में योजनागत व्यय इस प्रकार है:—

वर्ष	रु० करोड़
1996-97	2153.96
1997-98	1314.61
1998-99	957.32

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के लिए वर्ष 1999-2000 तक की अवधि हेतु 1822.50 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव किय गया है।

Package for Bengal

1089. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned, "Package for Bengal announced", appearing Business Standard, Calcutta, of 11th February, 1999, regarding revival of Hindustan Fertilizer Corporation (HFC);

(b) if so, whether Government have concretised revival plan of Durgapur and Haldia units of HFC in West Bengal for submission to BIFR; if so, the salient features of the same; and

(c) if not, the reasons therefor in view of the public announcement of the same on 10th Februrary, 1999?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) Yes, Sir. It refers, inter-alia, to the revival of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC) which stands referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).

(b) and (c) A revival package for HFC was initially formulated in the year 1995 which envisaged a limited revamp of its functional units. The Government decided to close/hive off the Haldia Project of HFC. Thereafter, an Expert Group, under the leadership of ICICI, was constituted to reformulate the package and it submitted its report in 1997. The Government of consideration of the report, approved the revival package in respect of Namrup units only and deferred the decision in respect of other units of HFC including its Durgapur unit. Proposals regarding other units of HFC based on their techno-economic viability will be submitted to the competent authority in the Government and final sanction of BIFR, which is a quasi-judicial authority.

Demands of IDPL Workers

1090. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken on the demands of the workers of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited;

(b) if so, the details of revival/ rehabilitation package; and

(c) the steps taken for payment of monthly salary to the employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) and (b) A package for the revival of IDPL approved by BIFR on 10.2.1994 was implemented w.e.f. 1.4.1994. The same, however, failed in the first year of

its operations as the company could not achieve the targeted levels of production, sales and profitability in the year 1994-95. Subsequently on direction from BIFR, IDBI conducted a fresh techno-economic appraisal of the IDPL and concluded that, as it is, IDPL is not viable. The Group of Ministers while considering this ordered that IDPL prepare a proposal in consultation with Unions and Workers. The Rehabilitation proposal now submitted by IDPL after discussion with workers/employees' Unions is under consideration. The proposal with reference to cut off date as 30.09.1998 carries the financial implication to the tune of Rs. 2010.12 crore involving a direct cash outgo of Rs. 646.96 crore together with the component of sacrifices of Rs. 638.97 crore and write off of losses of Rs. 674.68 crore. The representations received from the workers are bing due consideration.

(c) The employees/workers have been paid salary upto the month of January, 1999 and provisions have been kept for the payment of their salary for the month of February, 1999.

पेट्रो-केमिकल्स संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट

1091. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा० राकेश मोहन की अध्यक्षता वाले पेट्रो-केमिकल्स संबंधी विशेषज्ञ-दल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन बिक्री अथवा संदर्भ हेतु उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) जी हां।

(ख) प्रशुल्क पुनर्गठन से संबंधित पेट्रो-रसायन विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए।)

(ग) और (घ) रिपोर्ट पेट्रो-केमिकल्स डाटा सर्विसेज (पी० डी० एस०), पेट्रो-केमिकल्स टाउनशिप, जिला-बड़ौदा, गुजरात, जो कि इच्छुक पार्टियों को बिक्री के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित एक संस्थान है, के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

विवरण

(1) आयात शुल्क, तैयार माल पर उच्चतर प्रशुल्क सहित मूल्य ऋंखला के साथ अत्यल्प वार्धित प्रशुल्क, मूल्य वर्धित (वैल्यू एडिशन) चरण परंतु समग्रतः कम्पोस्ड प्रशुल्क ढांचे के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

(2) पालीमरों और रसायनों पर आयात शुल्क 1997-98 तक क्रमशः 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक कम होनी चाहिए।

(3) फाइवर मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क टर्मिनल वर्ष 1997-98 में कम करके 25 प्रतिशत तक किया जाए।

(4) फाइवर पर आयात शुल्क टर्मिनल वर्ष 1997-98 में कम करके 30 प्रतिशत तक किया जाए।

(5) 1997-98 तक बिल्डिंग ब्लाक पर आयात शुल्क कम करके 10 प्रतिशत, इन्टरमीडिया बिल्डिंग ब्लाक दर 15 प्रतिशत और फीड स्टाक पर शून्य प्रतिशत तक लाया जाए।

(6) ज़ाइलीन, पाराफिन्स, और फाइवर हेडेन जैसे मध्यवर्तियों के संबंध में टर्मिनल वर्ष में शुल्क कम करके 20 प्रतिशत किया जाए।

(7) आबकारी शुल्क चरणबद्ध रूप में 0% से 22% के बीच लाया जाए।

(8) एंटि-डम्पिंग उपायों को सुदृढ़ किया जाए और इस संबंध में एंटि-डंपिंग विधान की सिफारिश की जाती है।

(9) काउंटरवेलिंग शुल्क पर विचार किया जाए या इन देशों में निर्यात पर अधिक निर्यात सब्सिडी का भार और बिक्री कर और अन्य घरेलू अप्रत्यक्ष कर पर विचार किया जाए।